परिचय

(समस्या की उत्पत्ति एवं परिचय और वर्तमान समय में इसका महत्व)

पूर्वोत्तर राज्य : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :–

देश के लिए तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चीन की सीमा के पूर्वोत्तर राज्यों का रणनीतिक महत्व हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जो 21 किलोमीटर के गलियारे के माध्यम से 'सिलीगुड़ी गलियारे'/'चिकन नेक्क' कहते हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के समय में ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, मणिपुर, त्रिपुरा और असम नामक तीन राज्य ही थे। जातीय और भाषायी लाइनों के साथ राज्यों को पुनर्गठन करने वाली भारत सरकार की नीति के तहत असम के मूल क्षेत्र से चार नए राज्यों का निर्माण किया गया। तदनुसार, नागालैंड 1963 में एक अलग राज्य बन गया, इसके बाद 1972 में मेघालय बना। मिजोरम 1972 में एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया और 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ–साथ राज्य का दर्जा हासिल किया। यह भी उल्लेखनीय है कि उनके इतिहास के अधिकांश, पूर्वोत्तर राज्यों स्वतंत्र थे, और भारत के साथ उनका पूर्ण एकीकरण केवल ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। वर्तमान में सिक्किम सहित पूरे 08 राज्यों में भारत के पूरे पूर्वोत्तर में विविध जातीय और आदिवासी संस्कृति का देश है, जहां 125 से अधिक प्रमुख स्वदेशी जनजातियां और 232 जातीय समूह रहते हैं और 400 से अधिक बोली बोलते हैं। पूर्वोत्तर की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 3.07 प्रतिशत है।

पूर्वोत्तर की राज्यवार तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल जनसंख्या	क्षेत्र (वर्ग कि.मी)	मुख्य भाषायें
01	नागालैंड	19,80,602	16,579	**आओ, सेमा, कौन्याक (नगास्मी सामान्य भाषा है)**
02	त्रिपुरा	36,17,032	10,486	**बंगाला, कोकबोरोक (त्रिपुरी) हिन्दी**
03	मणिपुर	27,21,756	22,327	**मणिपुरी (मिथिलोन) एवं अंग्रेजी (29 स्थानीय बोलियां)**
04	मिजोरम	10,91,014	21,081	**मिजो (लुशाई) एवं बंगला**
05	मेघालय	29,64,007	22,429	**खासी, गारो एवं बंगला**
06	आसाम	3,11,69,272	78,438	**असमी, बोडो, बंगला**
07	अरुणाचल प्रदेश	13,82,611	83,743	**निशी, मोन्पा, अदी, डफला आदि (50 से अधिक विभिन्न बोली जाने वाली भाषाये)**
08	सिक्किम	6,07,688	7,096	**नेपाली, भूटिया, लेपचा**
	कुल	**4,55,33,982**	**2,62,179**	

उग्रवाद की समस्या और अन्य मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समझ :–

हालांकि, आजादी के बाद से, पूर्वोत्तर राज्यों के लोग अब तक अशांत थे। इसका कारण यह है कि यह राज्य हालांकि प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन औद्योगिक या आर्थिक विकास का कम अनुभव किया है। बेरोजगारीयुवाओं के बीच हताशा का कारण है जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से इन लोगों की विशेष जातीय पहचान, इसके साथ–साथ संस्कृति एवं परंपराएं खतरे में पड़ गई थीं।संक्षिप्त में, जंगल में पहाड़ी इलाकों में कई पड़ोसी देशों की साथझरझरी सीमाएं हैं, जो उग्रवाद की वृद्धि के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। वास्तव में, पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियाँ और क्षेत्रीय आंदोलन, विशेष रूप से असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बढ़ रहा है। इन संगठनों में से अधिकांश स्वतंत्र राज्य की स्थिति या क्षेत्रीय स्वायत्तता और संप्रभुता में वृद्धि की मांग करते हैं।

पूर्वोत्तर की उग्रवाद समस्या लगभग चार दशक पुरानी है और उग्रवाद में शामिल विभिन्न समूहों में 15 से अधिक भूमिगत राजनीतिक संगठन हैं। कथित तौर पर, अप्रैल 1979 में यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उलफा) का गठन हुआ था और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) असम में सक्रिय है : 1978 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र मुक्ति मोर्चा (यूएनएलएफ) और पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपैक (प्रीपेक) मणिपुर में सक्रिय हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन–आईएम) 1980 में स्थापित और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड –खप्पलांग (एनएससीएन–के) नागालैंड में सक्रिय हैं : मार्च 1989 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता त्रिपुरा का गठन हुआ था और 1990 में गठित सभी त्रिपुरा टाइगर फोर्स त्रिपुरा में सक्रिय हैं : 1995 अचिक नेशनल वॉल्टर काउंसिल (एएनवीसी) में गठन हुआ, हाइनल्यूट्रैप नेशनल लिबरेशन **काउंसिल** (एचएनएलसी) मेघालय में सक्रिय हैं और 1995 में हमार पीपुल्स कन्वेंशन–डेमोक्रेसी का गठन हुआ और ब्रु नेशनल फ्रंट (बीएनएलएफ) का गठन 1997 में हुआ जो मिजोरम में सक्रिय हैं।

हालांकि, इनमें से कई भूमिगत संगठन आज गिरोह प्रतिद्वंद्विता से घिरे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर नागालैंड और मणिपुर के मामलों में, जनजातियों, भौगोलिक क्षेत्रों और समग्र रूप से कहा जाने के लिए स्वयं के बीच में झगड़ना शुरू हो गया है। विभिन्न विद्रोही समूहों के बीच गुटनिरपेक्ष लड़ाई ने इतने सारे जीवन का दावा किया है। नस्लीय हिंसा के बढ़ते रुझान से जातीय हिंसा उग्र हो गई है। पूरी स्थिति आगे बढ़ रही है 1991 से कूकी–नागा संघर्ष चल रहा है और बाकी जनजातियाँ जैसे दीमासा और महार भी शांत नहीं है। इसी तरह राज्य में बगावत के बाद से असम में कभी भी जातीय सफाये के कई हिंसक कृत्य किए गए हैं।

पूर्वोत्तर की एक और बड़ी समस्या भारत के विभिन्न हिस्सों से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार और पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के उत्प्रवास का व्यापक असर है। पुराने समय में ब्रिटिशों ने विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए इस प्रवास को बढ़ावा दिया था लेकिन आज तक यह बंद नहीं हुआ है। इस विशाल प्रवास ने पूर्वोत्तर राज्यों के चेहरे को काफी बदल दिया है और स्थानीय जनजातीय जनसंख्या से श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को बंद कर दिया है। उदाहरण के लिए, 1949 में त्रिपुरा की 80 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की थी, आज वे 30 प्रतिशत से भी कम हैं। असम में लगभगस्थिति समान है जोकि वहां उग्रवाद का एक प्रमुख कारण है।

इस स्थिति में पूर्वोत्तर में एक सैन्य दृष्टिकोण से विद्रोह की समस्या का निपटान स्थिति को और भी बढ़ा सकता है। निरंतर सुरक्षा जांच, कार्रवाई को रोकने, और विरोध प्रदर्शन, हमले आदि न केवल आर्थिक प्रगति में बाधा डालते हैं बल्कि शांति एवं विकास के लिए अपने मूल अधिकारों से लोगों को वंचित भी करते हैं। इसके अभाव में लोगों ने अपने गुस्से को उग्रवादियों का समर्थन करते हुए और अधिक दिखाया। चरमपंथी भी बहुत–सी राज्य मशीनरी को नष्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि सामाजिक–आर्थिक–उत्थान के लिए हैं। आम लोगों को इस वजह से ज्यादा कठिनाई होती है, इससे उग्रवादियों के लिए राज्य और लोगों के बीच अंतर को बढ़ाने में आसानी होती है, और यह जितना अधिक होता है, उतना ही अतिवादी के लिए नए कैडर की भर्ती के लिए यह आसान होता है। आतंकवादियों के लिए सुरक्षाचक्र को तोड़ने से ज्यादा लोगों को सहानुभूति को खोने का डर है। इसलिए किसी भी काउंटर विद्रोह के उपाय में लोगों को विशेष रूप से युवाओं को शामिल करना होगा।

नेयुकेसं प्रस्ताव की पृष्ठभूमि :–

इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को लाने के लिए इस क्षेत्र में उग्रवादियों को गिरफ्तार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। स्थिति में बदलाव लाने में मामूली अभी तक महत्वपूर्ण निविष्टियों में से एक युवाओं की ऊर्जा कोशांति और विकास एवं राष्ट्र निर्माण गतिविधियों मेंलगाना है। रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर विकास परिषद (एनईडीसी), भारत सरकार के पूर्वोत्तर प्रभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संगठन है जोकि युवाओं को उग्रवादी समूह में शामिल न होने बल्कि राष्ट्र विकास की मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्र विकास के कार्यक्रम एवं गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी समय में कौशल विकास प्रशिक्षण, नेतृत्व, जीवन कौशल प्रशिक्षण, बेहतर व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और सामाजिक–आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, उद्यमशीलता और स्वयं रोजगार के अवसर आदि पर विशेष प्रयास किए जाएंगे।

इस दृष्टिकोण के साथ और 2016–17 में प्रथम पूर्वोत्तर युवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ, नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेस) 4 युवा राज्यों में 1000 युवाओं की भागीदारी के साथ वर्ष 2017–18 में द्वितीय पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को देश को देखने, सामाजिक–आर्थिक विकास, कौशल विकास लक्ष्य की स्थापना और समय प्रबंधन, भारत के गठन, देशव्यापी, एकता और एकीकरण, नेतृत्व और समझने के लिए सुविधा प्रदान करने के कार्य के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के विभिन्न हिस्सों की सिविल सोसाइटी, समझदारी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के साथ बातचीत करते हुए इस प्रकार उन्हें राष्ट्रवाद, भाईचारे, शांति, सामंजस्य और उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित कियाजाएगा। ।

लक्ष्य और उद्देश्य

• 8 पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं को सामाजिक, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक लोकाचार, भाषा, लोगों की जीवन शैली और हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविधता पहलुओं और सरकार कासामाजिक और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को समझने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान करना।

• भारत के संविधान, नागरिकोंके कर्तव्यों और जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और राष्ट्र विकास पर सूचना और ज्ञान प्रदान करना।

• देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना।

• पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को उनके समृद्ध, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए और उन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित करने में सक्षम बनाना हैं।

• पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में उनके सहयोगी समूहों के साथ भावनात्मक संबंधों को विकसित करने और उनके आत्म सम्मान को बढ़ाने में सहायता करना।

• स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थानों और युवाओं के साथ बातचीत के लिए प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करना, ताकि युवाओं के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित किया जा सके ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में समान जीवन स्थितियों में रखा जा सके।

• दस मुख्यजीवन कौशल की अपनी समझ को बढ़ाने के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करना, विशेष रूप से आतिथ्य एवं सत्कार से संबंधित उद्योग में उनकी कौशल विकास उन्मुख प्रशिक्षण की जरूरतों को पहचानना, भारत सरकार और राज्य सरकार के रोजगार कौशल योजनाओं के माध्यम से अपनी उचित कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और करियर परामर्श प्रदान करते हैं।

• प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने के लिए और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित क्षेत्रों से अवगत कराना।

- केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब और अन्य पदार्थों की रोकथाम।
- युवाओं को वोट देना चाहिएइस बात पर जोर देते हुए लोकतांत्रिक अधिकार जागरूकता।
- सड़क सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता।
- योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ओडीएफ।
- बुजुर्गों की देखभाल, उनसे बातचीत करें और उन्हें सम्मान देना।
- पानी के उपयोग और वृक्षारोपण।
- गंगा नदी का कायाकल्प।
- कैशलेस लेन–देन का प्रचार।

अवधारणा और पद्धति

देश के अन्य हिस्सों के विपरीत, पूर्वोत्तर सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन राज्यों ने अपनी सीमाएं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चीन जैसे अन्य देशों के साथ साझा की हैं। सामाजिक आर्थिक विकास और भाषा/जातीयता, आदिवासी प्रतिद्वंद्विता, प्रवासन, स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण और शोषण और अलगाव की एक व्यापक भावना के रूप में ऐतिहासिक कारकों के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में एक कमजोर सुरक्षा स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय उग्रवादी समूहों (आईआईजी) द्वारा हिंसा और विभिन्न मांगों का परिणाम सामने आया है।

गृह मंत्रालय विकास के लिए विभिन्न जातीय समूहों की वास्तविक मांगों और उनके मामलों के प्रबंधन में स्वायत्तता को हल करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। जबकि सड़क, रेल लिंक, बिजली आपूर्ति,

पानी की आपूर्ति आदि जैसे बुनियादी ढांचागत विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और अन्य विभिन्न मंत्रालय से संबंधित है और सुरक्षा को मजबूत करने, आतंकवाद से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, भूमिगत लोगों को वार्ता के माध्यम से, विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का कार्य पूर्वोत्तर डिवीजन द्वारा देखा जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों से संबंधित राजनयिक पहल भी सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए की गई है।

उपरोक्त उल्लेखों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले युवाओं को सामाजिक–आर्थिक विकास, जीवन शैली, संस्कृति, कौशल विकास पहल, उद्यमिता विकास, स्व रोजगार के अवसरों और भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर सूचना जैसेस्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल भारत, प्रधान मंत्री जन धन योजना, कार्यक्रमों का सामाजिक और वित्तीय समावेश को समझने के लिए देश के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए। यदि युवा समुदायों को देश के दूसरे हिस्सों में अपने साथियों के साथ बातचीत कर पर्याप्त जानकारी और अवसर मिल रहे हैं तो राष्ट्र विकास प्रक्रिया में पूर्वोत्तर राज्यों की युवा जनसंख्या की भागीदारी के साथ उनके बीच में उग्रवादी गतिविधियों को कम किया जा सकता है और इस क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित है कि, पूर्वोत्तरयुवाओं को सकारात्मक रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए और इसके लिएपूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम बहुत मददगार होगा।

क्रियाविधि

जैसा कि संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) गृह मंत्रालय के साथ दिनांक 7 नवंबर 2017 को चर्चा की गई कि पूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम 04 स्थानों पर आयोजित किया जायेगा। हिसार (हरियाणा), पुणे (महाराष्ट्र), तिरुवनंतपुरम (केरल), जम्मू (जम्मू और कश्मीर)कार्यक्रम आयोजन स्थल होंगे।

यह कार्यक्रम नेयुकेसं के संबंधित राज्य निदेशकों द्वारा संबंधित नेहरु युवा केन्द्रों के जिला युवा समन्वयकों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के 1000 युवाओं की प्रतिभागी होगी।

प्रतिभागियों की आखिरी मिनट में गिरावट के कारण भाग लेने वालों की पर्याप्त संख्या में राज्य निदेशकों, नेयुकेसं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा द्वारा चयन किया जायेगा।

माह फरवरी, 2018 और मार्च 2018 में कार्यक्रम को आयोजित करना लक्ष्य है।

• जैसा कि संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) गृह मंत्रालय के साथ दिनांक 7.11.2017 को चर्चा की गई कि 08 पूर्वोत्तर राज्यों से 18–22 वर्ष के आयु समूह में से50:50 पुरुषःमहिला के अनुपात में 100–130 युवाओं का चयन संबंधित राज्य निदेशक किया जाएगा। 20 युवाओं के दल 02 टीम नेता (1 पुरुष और 1 महिला) को नियुक्त किया जाएगा। प्रतिभागी को संबंधित राज्यों के जिला नेयुके के युवा मंडल से चुना जाएगा। सहभागी प्रतिभागियों की कुल संख्या के भीतर एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स और गाइड से भी चयन किया जाएगा।

• पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी कुल संख्या में शामिल किया जाएगा और आवश्यक होने पर उम्र की छूट दी जा सकती है।

• 06 दिनों के पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, पैनल चर्चा, व्याख्यान श्रृंखला, कौशल विकास, उद्योग यात्रा, आतिथ्य से संबंधित यात्रा, सत्कार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन (सुप्रसिद्ध गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आदिवासी कलाकृतियों पर स्वरोजगार), आतिथ्य और सत्कार प्रबंधन पर अभिमुखीकरण और आतिथ्य और सत्कार पर अभिविन्यास, देशभक्ति संबंधी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रतिभागी भी मेजबान राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा करेंगे। गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ इंटरएक्टिव सत्र इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण होंगे। कार्यक्रम अनुलग्नक–1 में दिया गया है। पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए दैनिक दिनचर्या का सुझाव अनुलग्नक–2 में दिया गया है।

महत्वपूर्ण

आयोजक केन्द्र यह सुनिश्चित करें कि :–

क) कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधनों को एकत्रित करना
ख) अभिनव कार्यक्रम का आयोजन करना और दिशा–निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना।
ग) इस कार्यक्रम के लिए विषय–"संकल्प से सिद्धी" बनाना।
घ) कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं पर बुकलेट तैयार कर सभी प्रतिभागियों में वितरित करना।
ई) कार्यक्रम की वीडियो फिल्म पेशेवर व्यक्ति द्वारा तैयार करवायी जाये और इसे नेयुकेसं मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

प्रत्येक स्तर पर लाभार्थी और उनकी सहभागिता

4 स्थानों जैसे हिसार (हरियाणा), पुणे (महाराष्ट्र), तिरुवनंतपुरम (केरल), जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में पूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए सहभागी प्रतिभागियों की संख्या 8 पूर्वोत्तर राज्यों से तैयार की जाएगी।

पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर पूर्वोत्तरयुवा आदन प्रदान कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों और टीम के नेताओं की राज्यवार संख्या का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक–12 का विवरण)।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	टीम नेताओं की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	128	12
2	आसाम	128	13
3	मणिपुर	128	14
4	मेघालय	128	13
5	मिजोरम	120	12
6	नागालैंड	128	12

7	सिक्किम	120	12
8	त्रिपुरा	120	12
	कुल	**1000**	**100**

कार्यान्वयन रणनीतियां

कार्यक्रम स्थलों का चयन : पूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन चार स्थानों पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम नेयुकेसंके संबंधित राज्य निदेशकों द्वारा संबंधित नेयुके के जिला युवा समन्वयकों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) से कुल 1000 युवाओं की भागीदारी प्रस्तावित है। भाग लेने वाले युवाओं को नेयुके के युवा मंडलों, एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स और गाइड्स से चुना जाएगा। 20 युवाओं के एक बैच में 2 टीम के नेताओं (1 पुरुष : 1 महिला) के साथ युवा 18–22 वर्षों के आयु वर्ग में होंगे। इसलिए एक राज्य से 100–130 युवा 11–13 टीम के नेताओं के साथ भाग लेंगे।

प्रतिभागियों के लिए टीम लीडर का चयन

• कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के संपूर्ण अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्य के प्रत्येक 20 युवा दल के एक बैच के लिए 2 टीम के नेताओं को तैनात करने का प्रस्ताव दिया गया है। उपर्युक्त तालिका में वर्णित 8 राज्यों के लिए टीम लीडर की कुल संख्या 100 है। दल के नेताओं को एनवाईसी या पूर्व–एनवाईसी से अधिमानतः होना चाहिए, जो प्रतिभागियों के समूह का नेतृत्व कर सकते हैं और यात्रा और कार्यक्रम के दौरान उनकी सुरक्षा, सुरक्षित यात्रा और चिकित्सा सहायता के लिए सभी उपाय कर सकते हैं। बजट प्रति टीम के नेता और 100 टीम के नेताओं के लिए कुल बजट का विवरण संलग्नक–9 में संलग्न है।

प्रतिभागियों के आईडी कार्ड और बीमा

सभी जिला युवा समन्वयक यात्रा अवधि के दौरान और इसके साथ–साथ कार्यक्रम में भाग लेने की अवधि तक के लिए सभी प्रतिभागियों का एक सरकारी एजेंसी के साथ बीमा करायेंगे।

टी शर्ट और ट्राउजर

कार्यक्रम स्थल के संबंधित राज्य निदेशक/जिला युवा समन्वयक प्रतिभागियों को टी–शर्ट और ट्राउजर/ ट्रैक सूट प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम का स्थान और तिथियां :

पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित राज्य के राज्य निदेशक कार्यक्रमों की तारीख, अवधि और स्थानों को अंतिम रूप देकर दिनांक 20 दिसंबर 2017 तक कार्यान्वयन की योजना को भेज दें।

प्रत्येक स्थल में प्रतिभागियों की चिकित्सा समस्याओं की देखभाल के लिए संबंधित राज्य निदेशक/जिला युवा समन्वयक द्वारा एक चिकित्सा अधिकारी तैनात किया जाएगा।

राज्य निदेशक और जिला युवा समन्वयक की भूमिका और उत्तरदायित्व

राज्य निदेशक और जिला युवा समन्वयक 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 1000 प्रतिभागियों और 100 टीम के नेताओं को एकत्रित कर चयन करेंगे। जिला युवा समन्वयक को भी क्षतिपूर्ति बांड के साथ चयनित उम्मीदवारों के आवेदन में भरेगा। पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर प्रतिभागियों के प्रस्थान से पहले सभी प्रतिभागियों और टीम के नेता को नेयुके के संबंधित जिला युवा समन्वयक द्वारा कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। प्रतिभागियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा और उनका एक दूसरे के साथ–साथ टीम के नेताओं के साथ भी परिचय कराया जायेगा।जिला युवा समन्वयक सभी प्रतिभागियों और टीम लीडर के लिए आई–कार्ड जारी करेगा और बीमा कवरेज की व्यवस्था करेगा। जिला युवा समन्वयक रिजर्व टिकट की बुकिंग और प्रतिभागियों को यात्रा डीए के भुगतान और संबंधित राज्य निदेशक की देखरेख में अनुरक्षण अधिकारी के रूप में यात्रा व्यवस्था भी करेगा।

कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रस्तावित है कि नेयुके 20 प्रतिभागियों के एक बैच के लिए 2 टीम के नेताओं (1 पुरुष और 1 महिला) का चयन करेंगे और तैनात करेंगे। टीम के नेता, प्रस्थान के समय से घर के राज्य/जिला को कार्यक्रम स्थल से वापस आने तक भाग लेने वाले लोगों को सुरक्षा, देखभाल और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। दल के नेताओं का चयन प्राथमिक रुप सेएनवाईसी/पूर्व एनवाईसी के बीच से किया जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग :– कार्यक्रम के पूरा होने के तुरंत बाद, संबंधित राज्य निदेशक अनुबंध संख्या–10 के अनुसार रिपोर्टिंग प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और कार्यक्रम के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

आईईसी रणनीति, प्रशिक्षण और प्रपत्र

•नेयुकेसं द्वारा प्रतिभागियों के चयन के बाद उनकी जानकारी और ज्ञान के लिए कार्यक्रम और गतिविधियों के विवरण प्रदान किया जाएगा।

• प्रस्थान के पहले और कार्यक्रम के पूरा होने के बाद आगमन पर ब्रीफिंग और जानकारी प्राप्त करने के लिए नेयुकेसं के जिला युवा समन्वयक द्वारा प्रतिभागियों के लिए एक विशेष 2 दिन (1+1) ब्रीफिंग और जानकारी प्राप्त करने के लिएकार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

•नेयुकेसं द्वारा चयनित प्रतिभागियों की जिलावार सूचियों को आवेदन पत्र (अनुलग्नक–3) के साथ संबंधित जिला युवा समन्वयक और संबंधित राज्य निदेशक को सूचित किया जाना चाहिए।

• कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सभी प्रतिभागियों को क्षतिपूर्ति बांड भरने की आवश्यकता होगी (अनुलग्नक –4)

• सभी प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने से पहले चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा (अनुलग्नक–5)

चयनित प्रतिभागी की सूची अनुलग्नक–6 के अनुसार होगी।

• कार्यक्रम के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित जिला युवा समन्वयक द्वारा प्रतिभागियों को उचित पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। नमूना पहचान पत्र अनुलग्नक –7 में दिया गया है।

• इस प्रयोजन के लिए जिला युवा समन्वयकों और राज्य के नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण अनुलग्नक –8 में संलग्न हैं।

• टीम लीडर के लिए बजट विवरण अनुलग्नक–9 पर दिया गया है।
• रिपोर्टिंग प्रारूप अनुलग्नक संख्या 10के अनुसार है।
• प्रतिभागियों के लिए फीडबैक फॉर्म अनुलग्नक–11(ए एवं बी) में दिया गया है।
• 8 पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभागियों और टीम के नेताओं के स्थान–वार विवरण अनुबंध–12 में है।

पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य निदेशक और जिला युवा समन्वयक द्वारा ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

• प्रतिभागियों के चयन में देखभाल की जरूरत है ताकि कोई ड्रॉप आऊट न हो। यह सुझाव दिया जाता है कि, उन प्रतिभागियों को चुना जाये, जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हों। ड्रॉप आऊट लक्ष्य उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं।

• प्रतिभागियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
• प्रतिभागियों के चयन में आसान प्रक्रिया को अपनाया जानाचाहिए।
• प्रतिभागियों की सूची में सांस्कृतिक कलाकारों को शामिल किया जा सकता है।

•जिला युवा समन्वयक, नेयुकेसं द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने से पहले कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों कोजानकारी देनी आवश्यक है।

• प्रतिभागियों के यात्रा टिकट का आरक्षण अग्रिम में कम से कम 3 महीने पहले किया जाना चाहिए और एक बार टिकट आरक्षित होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ड्रॉप आऊट न हो।

• टीम के नेताओं की तैनाती को उचित गंभीरता सेकिया जानाचाहिए, ताकि कोई भी ड्रॉप आउट न हो।

• समाज के कम विशेषाधिकार वाले वर्ग से युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

•जिला युवा समन्वयक, नेयुकेसं द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने से पहले कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों कोजानकारी देनी आवश्यक है।

•प्रतिभागियों के यात्रा टिकट का आरक्षण अग्रिम में कम से कम 3 महीने पहले किया जाना चाहिए और एक बार टिकट आरक्षित होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ड्रॉप आऊट न हो।

• टीम के नेताओं की तैनाती को उचित गंभीरता सेकिया जानाचाहिए, ताकि कोई भी ड्रॉपआउट न हो।

• प्रतिभागियों को द्वितीयपूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रमके दौरान उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी जो उन्हें रोजगार के प्रावधान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

• तदनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित केंद्र और राज्यों की विकास योजनाओं पर गुणवत्तापूर्ण स्थानों की यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए और संबंधित साहित्य भी उन्हें प्रदान किया जाये।

• महिला प्रतिभागियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

• संदर्भ व्यक्तियों के साथ–साथनेयुकेसं के संबंधित राज्य निदेशक द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

• पूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम के प्रतिभागियों का स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना अनिवार्य है।

•कार्यक्रमों में वीआईपी/गणमान्य व्यक्तियोंआमंत्रण को सीमित रखा जाना चाहिए और उनके भाषणों की संख्या को न्यूनतम रखा जा सकता है।

• सभी प्रतिभागियों की स्वास्थ्य स्थिति को मुख्यालय से निकलने से पहले चिकित्सक द्वारा जांच करनी होगी।

• जिला प्रशासन को पूर्वोत्तरयुवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कार्यक्रमों में जोड़ा जा सकता है।

वित्तीय सम्भावनाएं

टीए/डीए, आई–कार्ड और बीमा प्रति प्रतिभागी नेयुके के लिए बजट प्रावधान

1. टीए/डीए प्रावधान :

क) प्रत्येक प्रतिभागी और एस्कॉर्ट को आने जाने के लिए निवास से यात्रा किराया जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन के लिए और वापसी के लिए रुपये 300/–की दर से (वास्तविक आधार पर) सामान्य/अर्द्ध डीलक्स बस/रेल टिकट या किसी अन्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्रा जोकि क्षेत्र में प्रचलित परिवहन हो या अन्य मान्यताप्राप्त मोड से यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख) प्रत्येक भाग लेने वाले प्रतिभागी और एस्कॉर्ट को जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थान तक जाने और आने के लिए की गई यात्रा के लिए शयनयान श्रेणी रेल यात्रा का टिकट/सबसे छोटे मार्ग की

बस टिकट प्रस्तुत करने पर रुपये 2000/– प्रति व्यक्ति की दर से (वास्तविक आधार पर) यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सी) कुल यात्रा अवधि (आने–जाने की यात्रा अवधि सहित) के आधार पर अधिकतम 4 दिन के लिए डीए रुपये 250/– की दर से प्रति व्यक्ति के आधार पर प्रत्येक जिले के सभी प्रतिभागियों को और टीम के नेताओं को भुगतान किया जा सकता है।

2. आईडी कार्ड और बीमा कवर के लिए बजट :

सभी प्रतिभागियों और टीम के नेताओं के लिए आईडी कार्ड और बीमा कवर प्रदान करने के लिए रुपये 200/– प्रति व्यक्ति का प्रावधान किया गया है।

पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए बजट
प्रतिभागियों की कुल संख्या : प्रत्येक स्थल पर पूर्वोत्तर राज्यों के 250 युवा

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	राशि (रुपयों में)
1	यात्रा भत्ता	ए) टी.ए. प्रतिभागी @ रुपये 300/– प्रति व्यक्ति घर से जिला मुख्यालय एवं वापसी (300 X250)वास्तविक आधार पर	75000
		बी) यात्रा भत्ता (आना–जाना) जिले से कार्यक्रम स्थल एवं वापसी @ रुपये 2000/– प्रति व्यक्ति (2000 X250) वास्तविक आधार पर	500000
		सी)प्रतिभागियों को घर से स्टेशन/बस स्टैंडऔर वापसी का स्थानीय टी.ए. @ रुपये 200/– प्रति प्रतिभागी की दर से 250 प्रतिभागियों के लिए (200 X250)	50000
2	यात्रा के दौरान डी.ए.	डी.ए.@ रुपये 250/– प्रति व्यक्ति की दर से 4 दिन की यात्रा अवधि के लिए (250 X250 X4)वास्तविक आधार पर	250000
3	भोजन एवं आवास	भोजन एवं आवास व्ययरुपये 350/– प्रति व्यक्ति की दर से 8 दिन के लिए (6+2 दिन (प्रस्थान से 1 दिन पूर्व और जानकारी के लिए और वापसी पर बदले 1 दिन प्रतिक्रिया के लिए) (250 X 350 X 8)	700000
4	एमईएस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रतिभागियों को संदर्भ कीट/बैग	@ रुपये 200/– प्रति व्यक्ति (200X250)	50000
5	क्षेत्र के दौरे के दौरान स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत कार्यक्रम का आयोजन	अधिकतम दो कार्यक्रम@ रुपये 25,000/– प्रति कार्यक्रम	50000
6	बीमा	आईडी कॉर्ड एवं बीमा आदि @ रुपये 200/–प्रति व्यक्ति	50000
7	उद्घाटन, समापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	टेंट एवं शामियाना सजावट व्यय बिजली एवं लाईट तथा साऊंड सहित	80000

8	कार्यक्रम ब्रोशर का मुद्रण, बैनर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं प्रेस कॉफ्रेंस	कार्यक्रम ब्रोशर का मुद्रण, बैनर, बैकड्रॉप, फोटोग्रॉफी, वीडियोग्रॉफी एवं प्रेस कॉफ्रेंस	80000
9	परिवहन	वीआईपी एवं सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के सरकारी निवास पर चर्चा बैठक के लिए बसों को भाडे पर लेने हेतु। 2 दिन के लिए 5 बसों के लिए रुपये 5000/– की दर से प्रति बस (5000X5 X2) वास्तविक आधार पर	50000
10	विषय आधारित कार्यक्रम	प्रत्येक शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामूहिक चर्चायें, कैरियर मार्गदर्शिका एवं सम्मेलन आदि	70000
11	दस्तावेजीकरण	दस्तावेजीकरणएवं रिपोर्ट आदि तैयार करना	50000
12	टी–शर्ट एवं ट्रॉऊजर	प्रतिभागियों को टी–शर्ट एवं ट्रॉऊजर/ट्रैक सूट आदि की खरीद के लिए 250 प्रतिभागियों के लिए @ रुपये 1,000/–की दर से	250000
13	चिकित्सा सहायता	6 दिन के लिए प्रत्येक स्थल हेतु एक चिकित्सा अधिकारी@ रुपये 2000/–प्रतिदिन	12000
भाग –ए का कुल – 250 प्रतिभागियों के लिए एक कार्यक्रम हेतु			**23,17,000**
भाग–बी :– 25 टीम नेताओं के लिए /पये 6500/– की दर से प्रति व्यक्ति बजट (जैसाकि विवरण अनुबंध–9 में दिया गया है।			**1,62,500**
	कुल एक कार्यक्रम के लिए		**24,79,500**
	कुल चार कार्यक्रम के लिए (24,79,500X 4)		**99,18,000**
(रुपये निन्यानवे लाख अठारह हजार केवल)			

अनुमानित परिणाम

• देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को चुनने का अवसर प्रदान करने के लिए हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविधता पहलू और सामाजिक और वित्तीय समावेशन में एकता को दर्शाने वाले लोगों की सामाजिक–आर्थिक विकास, सांस्कृतिक लोकाचार, भाषा, जीवन शैली को समझने के लिए अवसर प्रदान किया है। सरकार के कार्यक्रम

• भारत के संविधान पर चयनित पूर्वोत्तर राज्य युवाओं की जानकारी और ज्ञान प्रदान करने के लिए, नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और राष्ट्र विकास।

• वहां उपलब्ध विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने के साथ देश के विभिन्न राज्यों में तकनीकी और औद्योगिक उन्नति के लिए चुने हुए पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को जोखिम प्रदान करने के लिए।

• चयनित पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को अपने समृद्ध और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए और उन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बना दिया।

• पूर्वोत्तर राज्य युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में उनके साथियों के साथ भावनात्मक संबंधों को विकसित करने में मदद मिली और स्वयं आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिली।

• स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थानों और युवाओं के साथ बातचीत के लिए प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि युवाओं के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित किया जा सके ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में समान जीवन परिस्थितियों में रखा जा सके।

• दस मुख्य जीवन कौशल की अपनी समझ को बढ़ाने के द्वारा पूर्वोत्तर राज्य युवाओं के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, विशेष रूप से अस्पताल से संबंधित उद्योग में उनकी कौशल विकास उन्मुख प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करें और भारत सरकार के रोजगार कौशल योजनाओं के माध्यम से अपनी वैध कैरियर की आकांक्षाओं को पूरा करें। राज्य सरकार और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और करियर परामर्श प्रदान करते हैं।

• राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में जागरुकता और जागरूक बनाने के लिए
☐ केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम
ब्ध नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब और अन्य पदार्थों की रोकथाम
☐ उस युवक पर जोर देने के साथ लोकतांत्रिक अधिकार जागरूकता को वोट देना चाहिए।
☐ सड़क सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता
☐ योग, स्वास्थ्य और स्वच्छता और स्वच्छता, ओडीएफ
थ्व्द बड़े–इंटरेक्टिव के लिए देखभाल, उनसे बात करें और उन्हें सम्मान दें।
☐ पानी के उपयोग और कटाई और वृक्षारोपण
ब्ध नदी गंगा का कायाकल्प
ब्ध कैशलेस लेन–देन का प्रचार

प्रतिक्रिया

कार्यक्रम की गतिविधियों का नतीजा सही ढंग से प्रलेखन प्रोफार्मा और विस्तृत गुणात्मक रिपोर्टों के अनुसार होगा जिसमें कार्यक्रम के प्रत्येक स्थल पर कार्रवाई तस्वीरों और प्रेस कतरनों और प्रतिभागियों के ग्रुप फोटो के साथ समापन टिप्पणियों और अनुशंसाएं होंगी।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और अनुवर्ती

प्रतिभागियों के लिखित प्रतिवेदन और वीडियो पर प्रतिक्रिया और कार्यक्रमों के प्रभाव के आकलन के लिए अभिलिखित –11 (एएंडपी) पर फीडबैक फॉर्म प्रदान किए गए हैं।

एक दिन ब्रीफिंग और एक दिन का डे–ब्रीफिंग शिविर संबंधित एनवाईके के द्वारा पूर्वोत्तर युवा कार्यक्रम के भाग लेने वालों के लिए आयोजित किया जाएगा।

उत्तर पूर्व युवा कार्यक्रम के कार्यक्रम के पूरा होने के बाद राज्य के निदेशक और जिला युवा समन्वयक कार्यक्रम को पूर्वोत्तर युवा कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ पालन करने का प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारी प्रतिभागियों को उन्मुख करेंगे और पूर्वोत्तर युवाओं के विकास के लिए जिले की बड़ी युवा आबादी से जुड़े सामाजिक कार्यवाही पहल का विकास करेंगे और उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विकास के साथ मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा।

वे पूर्वोत्तर युवा विनिमय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के अनुभव को साझा करने को भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्यक्रम प्रतिक्रिया फार्म के प्रभाव आकलन के लिए अनुलग्नक –11 (ए और बी) के रूप में जोड़ा गया है। यह प्रतिभागियों के लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी लगाया जाएगा इसके अलावा, एक दिन ब्रीफिंग और डी–ब्रीफिंग शिविर का आयोजन एनवाईकेएस द्वारा प्रतिभागियों के साथ किया जाएगा। इसके बावजूद, इसके अलावा, गृह मंत्रालय अपने स्तर पर कार्यक्रम की गहन प्रभाव आकलन के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी को शामिल कर सकता है।